

2019/00263

30/7/19

मुद्रांक संख्या-9414606491

ता.पेकी स्टैज

PORTAL

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेंडेक्स फार्म नम्बर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारिख दावर 3	तारिख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
कायदा 188 RTI वायदा	61/19	4/5/19	28/6/19 राम (नाम) अप	

अनवान

श्री. राम (नाम) श्री. राम (नाम)

निवासी

निवासी 160 ज. हा. पु. निवासी हा. हा. पु.

श्री. विनोद कुमार सिंह
अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

डिक्रीदार

रेस्पाडेन्ट / मदयूनान

श्री. श्री.



APP-A
Crim-1

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम माण्डलगढ

रामकिशोर मीणा

वनाग रामपुसाद मीणा

फरम मुकदमा 188 RTA नं. 61/19

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तागील में जारी हुए
6/19	<p>वादपत्र सीगे से बाद जाँच पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र भेजी जावें। पत्राली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 30/7/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ</p>	
36/19	<p>पत्रावली आज वकील वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश करने पर आज पेश हुई। वादी व प्रतिवादी दोनों ने हाजिर होकर निवेदन किया है कि हमारे आससी राजीनामा हो चुका है एवं वकील वादी द्वारा भी राजीनामे का प्रार्थना-पत्र एवं दोनों पक्षकारान की I.D. प्रुफ पेश किए जिसे शामिल पत्रावली किए गए। पक्षकारान की पहचान वकील प्रार्थी से करवाई गई। वकील प्रार्थी व पक्षकारान अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 188 RTA को इसी स्टेज पर स्वारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कस की जावे।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ</p>	<p>रामकिशोर मीणा</p>